न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी—अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 109/2024

अपीलांट

1. हरिसिंह पुत्र डूंगरसिंह
2. लाछकंवर पुत्र डूंगरसिंह
3. रेंवतसिंह पुत्र डूंगरसिंह
4. तेजसिंह पुत्र गोविन्दसिंह
5. निजरकंवर पत्नी गोविन्दसिंह
6. बिरमसिंह पुत्र गोविन्दसिंह
7. अणदकंवर पत्नी लक्ष्मणसिंह
8. आसुसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह
9. जालमसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह
10. उगमसिंह पुत्र नारायणसिंह उर्फ नरपतसिंह
11. खम्माकंवर पत्नी नारायणसिंह उर्फ नरपतसिंह
12. मंगलसिंह पुत्र नारायणसिंह उर्फ नरपतसिंह

(अपीलांट सं0 8 व 9 नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता अपीलांट सं0 7, सभी जातियान राजपूत, निवासी ग्राम रामसागर, तहसील देचू, जिला फलौदी)

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. भोमसिंह पुत्र बागसिंह
2. देऊकंवर पुत्री बागसिंह
3. बलवंतसिंह पुत्र मोबतसिंह
4. बीबूकंवर पुत्री बागसिंह
5. सुमेरसिंह पुत्र डूंगरसिंह
6. अचलसिंह पुत्र जगमालसिंह
7. करणसिंह पुत्र जगमालसिंह
8. गिरधारीसिंह पुत्र जगमालसिंह
9. पेपकंवर पत्नी जगमालसिंह
10. जसुकंवर पुत्री भगवानसिंह उर्फ सरदारसिंह
11. जसवंतसिंह पुत्र भगवानसिंह उर्फ सरदारसिंह
12. पुरणकंवर पत्नी भगवानसिंह उर्फ सरदारसिंह
13. भीखसिंह पुत्र गोविन्दसिंह
14. कुम्भसिंह पुत्र गोविन्दसिंह
15. भोमसिंह पुत्र भगवानसिंह उर्फ सरदारसिंह
16. समुकंवर पुत्री भगवानसिंह
17. कमलाकंवर पुत्री लक्ष्मणसिंह
18. चन्द्रसिंह पुत्र आदुसिंह
19. धापूकंवर पुत्री लक्ष्मणसिंह
20. पूराकंवर पुत्री लक्ष्मणसिंह
21. बुदेसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह
22. मूमलकंवर पुत्री लक्ष्मणसिंह
23. मांगूकंवर पुत्री लक्ष्मणसिंह

    (सभी जाति राजपूत, निवासी ग्राम रामसागर, तहसील देचू, जिला फलौदी)

24. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार देचू, जिला फलौदी
25. पटवारी, पटवार मण्डल, रावतनगर, तहसील देचू, जिला फलौदी
26. भू—अभिलेख निरीक्षक, पीलवा, तह0 देचू, जिला फलौदी

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी लोहावट (जोधपुर) आदेश कमांकः प्र.ग.स./2021/1084 दिनांक 20.12.21

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

उपस्थिति –
1. श्री पुष्पेन्द्रसिंह भाटी, वकील अपीलांट्स
2. श्री हिमपालसिंह राठौड़, वकील रेस्पो0 सं0 1,3, 5 से 7, 11 से 13, 15 व 21
3. श्री नवलसिंह दहिया राजकीय अधिवक्ता राज्य पक्ष की ओर से

निर्णय

दिनांक .08.2024

प्रस्तुत अपील प्रकरण के तथ्य मुख्यतः इस प्रकार से है कि उपखण्ड अधिकारी लोहावट के अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.12.2021 के द्वारा तहसीलदार देचू के पत्र क्रमांक 2052 दिनांक 16.12.21 द्वारा प्रस्तावित राजस्व ग्राम रामसागर के उल्लेखित खसरान की भूमि में से रास्ते में उपयोग हो रही उल्लेखित रकबा भूमि की किस्म गै0मु0 रास्ता परिवर्तित करने एवं नक्शा (लटठ्ा) ट्रेस में दुरस्ती एवं राजस्व रेकर्ड में विद्यमान कदीमी रास्ते के रूप में दर्ज करने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु अवधि गणनार्थ अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एवं धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये। जो न्यायहित में स्वीकार कर अपील का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। दौरान सुनवाई वकील अपीलांट्स ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व हितबद्ध खातेदारान को सुनवाई का अवसर नही दिया गया और न ही उनकी सहमति ली गई। जहां पर कदिमी रास्ते/ पगडंडी/कोई रास्ता नही है, वहां पर रास्ते का रेकर्ड में अंकन व नक्शें में तरमीम कर दी गई है। अपीलाधीन आदेश में उल्लेखित खसरा नं0 2532, 2531, 2531/1 व 2534 के राजस्व रेकर्ड में जरिये ना0क0 गै0मु0 रास्ता दर्ज कर दिया गया है, जिनके वर्तमान खसरा नं0 क्रमशः 2602/2532, 2596/2531, 2594/2531 व 2599/2534 है। मौके पर कोई रास्ता चालू नही है, अपीलाधीन आदेश गलत एवं बेबुनियाद है। उक्त आदेश बिना किसी आधार के पारित कर दिया गया, जिससे खातेदारों की समस्या एवं आपसी विवाद बढ गया है। वस्तुतः जिन जगहों पर कदिमी रास्ते पीढियों से चल रहे है वहां पर गै0मु0 रास्ता दर्ज नही करके उससे भिन्न स्थान पर रास्ता दर्ज कर दिया गया है। मौका फर्द दिनांक 1.12.21 पर भी किसी राजस्व कार्मिक अथवा अधिकारी के हस्ताक्षर नही है।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

इस प्रकार उक्त समस्त कार्यवाही विधि विरूद्ध की गई है, जिसमें अपीलांट्स को बिना पक्षकार बनाये उसकी खातेदारी भूमि में रास्ते की भूमि दर्ज कर दी गई है। अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रभावित पक्षकारों की सुनवाई एवं राजस्व रेकर्ड व मौका रिपोर्ट अनुसार पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित करने का आग्रह किया गया।

रेस्पो0 अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया कि उक्त आदेश तहसीलदार देचू द्वारा आरएलआर एक्ट 1956 की धारा 131, 132 व 136 के तहत ग्राम रामसागर में मौके पर चल रहे कदीमी रास्ते के उपयोग में आ रही भूमि की किस्म रास्ता घोषित कर, नक्शा शुद्धि एवं राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 में उपखण्ड अधिकारी लोहावट के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। जिसमें ग्राम रामसागर के खसरा नं0 2532, 2531, 2531/1 व 2534 में प्रस्तावित रकबा रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने बाबत अभिशंषा की गई। जिसे अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकार कर रास्ता घोषित कर दिया गया है तथा उक्त आदेश की पालना राजस्व रेकर्ड में कर दी गई। अतः उक्त अपील मियाद बाहर व सारहीन होने से खारिज फरमाने का आग्रह किया गया।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह किया कि प्रकरण में तहसीलदार देचू द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021 के दौरान ग्राम रामसागर के उल्लेखित खसरान में मौके पर अवस्थित/प्रचलित रास्ते का राजस्व रेकर्ड में अंकन करने हेतु प्रस्ताव भिजवाया गया। जिसका सत्यापन मौका फर्द दिनांक 1.12.21 के अनुसार सरपंच ग्रा0पं0 रावतनगर द्वारा मौके पर उपस्थित मौतबिरानों के समक्ष किया गया है, तथापि प्रकट तथ्यों के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। जिसके अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त कार्यवाही तहसीलदार देचू से प्राप्त प्रस्ताव कर की गई है व प्रस्ताव के संलग्न मौका फर्द दिनांक 01.12.2021 में मौके पर किसी राजस्व कार्मिक का सत्यापन कर्ता के रूप में उल्लेख नही है और न ही इसमें प्रस्तावित खसरा नम्बरान का उल्लेख है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित खातेदारों को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर नही दिया गया व उक्त आदेश की

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

राजस्व रेकर्ड में पालना कर दी है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश क्रमांकः 1084—88 दिनांक 20.12.21 निरस्त किया जाता है तथा उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय वर्तमान में उपखण्ड अधिकारी देचू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट्स एवं सभी संबंधित खातेदारों / पक्षकारों को नोटिस जारी कर उनकी उपस्थिति में मौका निरीक्षण एवं मौका फर्द तैयार करवाकर, यदि मौके पर रास्ता चालू है तो उसे बंद किये बिना, उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 05 अगस्त, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

05.08.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर